

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 78/2022

आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 क्षेत्रीय कार्यालय तृतीय तल, जे0एस0ई0एल0 बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी श्री मोहित दीवान

...प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र रामहेत मीना,
पता-बी-402, क्वाटर नंबर सेकंड 33-डी, मनुवर बाग रेल्वे कॉलोनी, आलम बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226005

...अप्रार्थी ऋणी/बंधककर्ता

2. मुन्नी देवी,
पता-बी-402, क्वाटर नंबर सेकंड 33-डी, मनुवर बाग रेल्वे कॉलोनी, आलम बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226005

...अप्रार्थी जमानतदार

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 22.09.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 ने अप्रार्थी/ऋणी श्री पृथ्वीसिंह पुत्र रामहेत मीना, निवासी बी-402, क्वाटर नंबर सेकंड 33-डी, मनुवर बाग रेल्वे कॉलोनी, आलम बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को 8,90,912/- (रुपये आठ लाख नब्बे हजार नौ सौ बारह मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 को सुना गया। हमने प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी

.....निरंतर 2 पर

किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री पृथ्वीसिंह पुत्र रामहेत मीना की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 07 मिसल -6, ग्राम ठेकडा नियर राजश्री स्कूल, महुआ रोड महवा जिला दौसा में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 220 वर्गफीट है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा